न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कालूराम पुत्र भैराराम उम्र 30 वर्ष
2. प्रकाश पुत्र भैराराम उम्र 22 वर्ष
3. श्रीमती इमियों पत्नी भैराराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी बेरीवालागांव (कुड़ला) तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. श्रीराम पुत्र गोमदा उम्र 66 वर्ष
2. वालाराम पुत्र अमराराम उम्र 46 वर्ष
3. लालाराम पुत्र अमराराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव (कुड़ला) तहसील व जिला बाड़मेर
4. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कुड़ला जिला बाड़मेर
5. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 266 / 2009 बअनवान श्रीराम बनाम कालूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 (संशोधित निर्णय 10.08.2018) के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भैराराम बेनिवाल रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री भैराराम बेनिवाल रेस्पोडेंट संख्या 02, 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.09.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 699 / 48 रकबा 15.05 बीघा, खसरा संख्या 760 / 58 रकबा 02.10 बीघा, खसरा संख्या 761 / 58 रकबा 98.06 बीघा कुल रकबा 116.01 बीघा मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर में आये हुऐ है जिसमें वादी का 1 / 2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का 1 / 2 हिस्सा है तथा मौके पर मौखिक बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुऐ नहीं है, जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिए वादी ने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम हस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये तथा अपीलांट संख्या 01 व 02 के सम्मन दुबारा जारी तक नहीं किये गये एवं अपीलांट संख्या 01 से 03 के सम्मन पर इमियों के फर्जी हस्ताक्षर कर वादी ने तामील कुन्निदा से मिलकर सम्मन न्यायालय में पेश कर दिये जबकि अपीलांटगण व उसका परिवार से किसी प्रकार का तामिल नहीं हुआ है, साथ ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट ईमियो हस्ताक्षर करना नहीं जानती है बल्कि अगुष्ठ निशान करती है, जिस कारण अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी करवाई तथा तहसीलदार बाड़मेर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई उतरदाता संख्या 01 के साथ मिलीभगत करते हुए मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिस पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम हस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवायी गयी तथा अपीलांट संख्या 01 व 02 के सम्मन दुबारा जारी तक नहीं किये गये एवं अपीलांट संख्या 01 से 03 के सम्मन पर इमियों के फर्जी हस्ताक्षर कर वादी ने तामील कुन्निदा से मिलकर सम्मन न्यायालय में पेश कर दिये जबकि अपीलांटगण व उसके परिवार को किसी प्रकार का सम्मन तामिल नहीं हुआ है, साथ ही अपीलांट ईमियो हस्ताक्षर करना नहीं जानती है बल्कि अगुष्ठ निशान करती है, जिस कारण अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर हमें सुनवाई का अवसर प्रदान करावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को वादी द्वारा पेश वाद की जानकारी पूर्व में नहीं थी। परन्तु वाद निर्णय करने के बाद उतरदाता संख्या 01 द्वारा राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन करवा लिया तथा वर्तमान में मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगा तथा धमकी दी कि मैने वादग्रस्त भूमि का छिपे तौर से बंटवाड़ा करवा लिया है जिस पर अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की दिनांक 22.06.2020 को नकले प्राप्त की जिस पर अपीलांट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि प्रत्येक वाद, अपील और रिट में जहां परिसीमा का प्रश्न निर्धारित है, वहां अन्य कोई आदेश पारित करने से पूर्व म्याद के बिन्दु पर प्रथम विचार कर निर्णित करना न्यायोचित होगा। अपीलांटस के नाम जारी सम्मन तारीख पेशी दिनांक 21.04.2010 पर अपीलांटस द्वारा तामील होने के बावजूद न्यायालय में अकारण उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

आदेश पारित किया गया। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 02 व 03 को भू.अ.नि. द्वारा टेलीफोन से सूचना दी थी परन्तु वे हाजिर नहीं हुए। अपीलांटस को अपीलाधीन वाद का पूर्ण ज्ञान था परन्तु अपनी हठधर्मिता के कारण लम्बित वाद में अपनी उपस्थिति नहीं दी। ऐसी अवस्था में अपीलांटस के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2008(2) Page 1095

उन्होंने धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के आवेदन के जबाव पर ही बहस की। और अंतिम बहस हेतु समय चाहा परन्तु समय चाहने का कोई उपयुक्त एवं युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया। उन्हें आज गुणावगुण पर बहस का अवसर दिया परन्तु इस पर उन्होंने बहस नहीं की। मामले में अग्रसर होकर बहस सुना जाना न्यायोचित समझा गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर इसे खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कुड़ला मुख्यालय मगने की ढाणी पर रखने संबंधित अपीलांटगण को सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। कैम्प कोर्ट में केवल लोक अदालत एवं राजीनामा से संबंधित ही सुनवाई कर वाद का निपटारा किया जाता है जबकि हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो लोक अदालत एवं विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया उस वक्त अपीलांट संख्या 02 नाबालिग था जो प्रस्तुत अंकतालिका से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2016 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>तहसीलदार स्वयं</u> द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल उनके प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। <u>तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।</u> बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। बंटवारे के इस मामले में सभी रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार क्रम में संयोजित नहीं करना भी विधि की मंशा के विपरीत पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जारी करते वक्त कैम्प कोर्ट मुख्यालय कुड़ला पर वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों अनुपस्थित थे फिर भी निर्णय गुणावगुण पर पारित किया गया जबकि वादी की अनुपस्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में ही खारिज कर देना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय/डिक्री विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है और अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य पाई गई है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 266/2009 बअनवान श्रीराम बनाम कालूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 (संशोधित निर्णय 10.08.2018) को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner